राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 3108/2021

कुलदीप सिंह मीना पुत्र श्री रामचन्द्र मीना, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी प्लॉट नंबर 13, चर्च के पास बालमंदिर कॉलोनी, बजरिया, सवाई माधोपुर-322001 (राजस्थान)।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।
2. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को इसके अध्यक्ष घुंघरा घाटी, जयपुर रोड, अजमेर (राजस्थान) के माध्यम से।

----प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से	:	श्री संजीव कुमार श्री सारांश सैनी के साथ
प्रत्यर्थी (गण) की ओर से	:	श्री एमएफ बेग, श्री गोविंद गुप्ता के साथ-प्रत्यर्थी आरपीएससी के लिए श्री सत्येन्द्र मीना, श्री केएस चंदेल, एजीसी-प्रत्यर्थी राज्य की ओर से

माननीय न्यायमूर्ति अशोक कुमार गौड़

आदेश

28/08/2023

रिपोर्टेबल

1. याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ यह याचिका दायर की गई है:

> "(i) प्रत्यर्थी आरपीएससी को कम से कम वर्तमान याचिकाकर्ता को याचिका के ज्ञापन में निर्दिष्ट 24 प्रश्नों के लिए अन्य उम्मीदवारों के बराबर अंक देने का निर्देश दिया जाए, जैसा कि समान/समान उत्तर के लिए

दूसरों को दिया जाता है और परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता की योग्यता स्थिति को तदनुसार संशोधित करने का निर्देश दिया जाए।

(ii) यह भी प्रार्थना की जाती है कि उपरोक्त प्रार्थना के अनुसार स्थिति/रैंक के संशोधन के परिणामस्वरूप प्रत्यर्थियों को वर्तमान याचिकाकर्ता को आरएएस के रूप में उचित नियुक्ति (आरएएस के रूप में नियुक्ति) की तारीख से सभी परिणामी लाभों के साथ नियुक्ति देने का निर्देश दिया जाए, जो दिनांक 11.09.2017 से दूसरों को नियुक्तियाँ दी गईं।

(iii) प्रत्यर्थी आरपीएससी को आरएएस-2013/2018 में याचिकाकर्ता की वरिष्ठता को फिर से तय करने/पुनः सौंपने और आरएएस 2013/2018 में वरिष्ठता एवं वित्तीय लाभ एवं पुनः निर्धारण सहित उचित स्थान पर वरिष्ठता के उचित असाइनमेंट के बाद उसके बाद होने वाले सभी परिणामी लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया जाए।

(iv) आरएसीएस कैडर में याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को भी याचिकाकर्ता के सेवा कार्यकाल में नियमों के अनुसार सभी परिणामी लाभों के साथ जोड़ा जाए।

(v) या कोई अन्य उचित आदेश या निर्देश, जिसे यह माननीय न्यायालय, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उचित समझे, कृपया याचिकाकर्ता के पक्ष में भी पारित किया जाए।

2. संक्षेप में तथ्य, जैसा कि रिट याचिका में कहा गया है, यह है कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा और संबद्ध सेवाओं में चयन और नियुक्ति के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग (संक्षेप में "आरपीएससी") द्वारा 16 जून, 2013 को एक विज्ञापन जारी किया गया था।

3. याचिकाकर्ता, उपरोक्त सेवाओं के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होने के कारण, 26 अक्तूबर, 2013 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में उपस्थित हुआ।

4. याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि उपरोक्त सेवाओं की प्रारंभिक परीक्षा 10 जुलाई, 2014 को रद्द कर दी गई और प्रारंभिक परीक्षा करने के लिए फिर से एक अधिसूचना जारी की गई।

5. याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि प्रारंभिक परीक्षा को प्रारंभिक रूप से स्थगित करने के बाद, इसे 31 अक्तूबर, 2015 को आयोजित किया गया था।

6. याचिकाकर्ता ने दलील दी कि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 29 नवंबर, 2015 को घोषित किया गया था और वह सफल उम्मीदवारों में से था।

7. याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि प्रत्यर्थी आरपीएससी ने मुख्य परीक्षा आयोजित करने के लिए 29 मार्च, 2016 को अधिसूचना जारी की थी और इसे 09 अप्रैल, 2016 से 12 अप्रैल, 2016 तक आयोजित किया जाना था।

8. याचिकाकर्ता ने दलील दी कि 15 जून, 2016 को घोषित मुख्य परीक्षा के परिणाम में उसका नाम सफल उम्मीदवारों में शामिल किया गया था।

9. याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि मुख्य परीक्षा के बाद, प्रत्यर्थी आरपीएससी ने साक्षात्कार की तारीखों को पुनर्निर्धारित किया और इस तरह, साक्षात्कार में उपस्थित होने के बाद, उपरोक्त परीक्षा का अंतिम परिणाम 10 दिसंबर, 2016 को घोषित किया गया और याचिकाकर्ता को संबद्ध सेवाएं अर्थात राजस्थान लेखा सेवा के लिए चुना गया।

10. याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि प्रत्यर्थी आरपीएससी ने बाद में अंतिम चयन सूची जारी की और कुछ उम्मीदवारों द्वारा उनके अंकों के योग के बारे में जो आपत्तियां उठाई गई थीं, उन पर कार्रवाई की गई और एक प्रेस नोट जारी किया गया।

11. याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि याचिकाकर्ता को आरपीएससी के पोर्टल से उत्तर पुस्तिकाएं लेने के उद्देश्य से प्रेस नोट मिला, जो विभिन्न उम्मीदवारों को उपलब्ध कराया गया था और इस तरह, याचिकाकर्ता ने अपनी और कुछ अन्य उम्मीदवारों की भी उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त की।

12. याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि अन्य उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन करने और याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए उत्तरों के संबंध में प्रासंगिक पुस्तिकाओं पर विचार करने के बाद, यह स्पष्ट हो गया कि परीक्षा के मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा मनमाना और अनुचित आकलन/मूल्यांकन किया गया था।

13. याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि कुछ प्रश्नों में उसे '0' अंक या कम अंक दिए गए

हैं, जबकि उसी उत्तर के लिए अन्य उम्मीदवारों को या तो पूर्ण या उच्च अंक दिए गए हैं।

14. याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि वह 2018 से आरपीएससी के समक्ष अभ्यावेदन दाखिल कर रहा है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और इस तरह, याचिकाकर्ता ने न्याय की मांग के लिए नोटिस देने के बाद इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

15. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता-श्री सारांश सैनी ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिका के पैरा 5 में, याचिकाकर्ता ने आरएएस मुख्य परीक्षा के सभी 4 पेपरों में आपत्तियों का विवरण दिया है।

16. विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि सभी चार पत्रों में आपत्तियाँ इस प्रकार हैं:

<u>पेपर 1</u>

इकाई	भाग	प्रश्न संख्या
इकाई 1	भाग क	3
इकाई 1	भाग क	5
इकाई 1	भाग ख	8
इकाई 3	भाग क	3

<u>पेपर 2</u>

इकाई	भाग	प्रश्न संख्या
इकाई 1	भाग क	6
इकाई 2	भाग क	8

<u>पेपर 3</u>

इकाई	भाग	प्रश्न संख्या
इकाई 2	भाग क	2
इकाई 3	भाग क	2
इकाई 3	भाग क	3
इकाई 3	भाग ख	7
इकाई 3	भाग ख	11

<u>पेपर 4</u>

इकाई	भाग	प्रश्न संख्या
इकाई 1	भाग क	7 (1)
इकाई 1	भाग क	7 (3)
इकाई 1	भाग क	7 (4)
इकाई 1	भाग क	8 (7)
इकाई	भाग ख	9 (1)

17. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय को यह दिखाने के लिए विवरण दिया गया है कि या तो प्रत्यर्थी आरपीएससी ने याचिकाकर्ता को '0' अंक दिए या अन्य उम्मीदवारों की तुलना में कम अंक दिए, जिन्होंने समान उत्तर दिए।

18. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि अंग्रेजी भाग में, याचिकाकर्ता ने प्रश्न संख्या 1(ख), 2(क), 2(ग), 5(ख), 5(ग), 10(ख), 10(ग) और 11(5) यूनिट 3 (भाग क और भाग ख) के संबंध में अपनी शिकायत उठाई है।

19. विद्वान अधिवक्ता ने दलील देते हुए याचिकाकर्ता की उत्तर पुस्तिका की जांच करते समय आरपीएससी द्वारा की गई कुछ स्पष्ट अनियमितताओं की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया।

20. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यूनिट 3 के भाग क में अंग्रेजी भाग के संबंध में, एक प्रश्न संख्या 1 (ख) था जहां उम्मीदवारों को सही आर्टिकल के साथ रिक्त स्थान भरना था और उक्त प्रश्न इस प्रकार था:

"पिछले वर्ष श्रीनगर में ....भूकंप आया था।

21. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता का उत्तर लेख "क" था और याचिकाकर्ता को '0' अंक दिए गए थे और दूसरे उम्मीदवार, जिसका रोल नंबर 414268 था, ने भी उत्तर भरा था और उत्तर के रूप में "क" लिखा था और उसे '1' अंक दिया गया था।

22. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि रोल नंबर 403523 वाले दूसरे उम्मीदवार ने भी रिक्त स्थान में "क" भरकर वही उत्तर भरा था और उसे भी '1' अंक दिया गया था।

23. विद्वान अधिवक्ता ने प्रश्न संख्या 2(क), भाग क (अंग्रेजी भाग) की इकाई 3 का

उल्लेख किया है, जहां याचिकाकर्ता को सही प्रीपोजिशन के साथ उत्तर भरने के लिए कहा गया था। याचिकाकर्ता ने अपनी उत्तर पुस्तिका में वाक्य के बीच में "ऑफ" शब्द डाल दिया और याचिकाकर्ता के उत्तर को गलत माना गया और उसे '0' अंक दिए गए।

24. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने रोल नंबर 428512 वाले दूसरे उम्मीदवार को दिए गए अंकों का उल्लेख किया है, जहां उसने भी "ऑफ" डालकर वही उत्तर दिया था और उसे '1' अंक दिया गया था।

25. विद्वान अधिवक्ता ने फिर से प्रश्न संख्या 2 (ग), भाग क (अंग्रेजी भाग) की इकाई 3 का उल्लेख किया है, जहां सही प्रीपोजिशन का उल्लेख किया जाना था और याचिकाकर्ता ने "इन" शब्द डालकर रिक्त स्थान भर दिया था और उसने को '0' अंक दिए गए, जबकि क्रमशः रोल नंबर 428512 और 410855 वाले अन्य उम्मीदवारों ने भी "इन" लिखकर समान उत्तर दिया और उन्हें प्रत्येक को '1' अंक दिया गया।

26. विद्वान अधिवक्ता ने प्रश्न संख्या 5 (ख), भाग क (अंग्रेजी भाग) की इकाई 3 का भी उल्लेख किया है, जहां याचिकाकर्ता ने "फ्यू" के रूप में उत्तर दिया था और उसे '0' अंक दिए गए थे और इस प्रकार, सही उत्तर "फ्यू" था और इस प्रकार, याचिकाकर्ता को '0' अंक नहीं दिए जा सकते थे।

27. विद्वान अधिवक्ता ने प्रश्न संख्या 5 (ग), भाग क (अंग्रेजी भाग) की इकाई 3 का उल्लेख किया है, जहां उचित निर्धारक भरे जाने थे और याचिकाकर्ता ने "ऐनी" लिखकर उत्तर दिया था और उसे '0' अंक दिया गया था। जबकि रोल नंबर 419932 वाले दूसरे उम्मीदवार ने भी वही उत्तर दिया था अर्थात "ऐनी" और उसे '1' अंक दिया गया था।

28. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने फिर से दो अन्य प्रश्नों का उल्लेख किया है जैसे भाग क (अंग्रेजी भाग) की इकाई 3 के प्रश्न संख्या 10 (ख) और भाग क (अंग्रेजी भाग) की इकाई 3 के प्रश्न संख्या 10 (ग), जहां याचिकाकर्ता द्वारा सही उत्तर दिए गए थे, हालांकि, उसे '0' अंक दिए गए थे।

29. विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय को यह समझाने का भी प्रयास किया है कि अन्य पेपरों के संबंध में, याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए उत्तर का मूल्यांकन करते समय, मूल्यांकनकर्ता/परीक्षक ने याचिकाकर्ता को अंक नहीं दिए और एक ही उत्तर के लिए अन्य

अभ्यर्थियों को अलग-अलग अंक या अधिक अंक दिए।

30. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि परीक्षक द्वारा घोर लापरवाही, सोच-विचार न करने और कर्तव्य के प्रति समर्पण की कमी के कारण, याचिकाकर्ता का पूरा करियर प्रभावित हुआ है, क्योंकि याचिकाकर्ता को केवल संबद्ध सेवाएं दी गई हैं और प्रत्यर्थी आरपीएससी, यदि याचिकाकर्ता की उत्तर पुस्तिकाओं का निष्पक्ष तरीके से मूल्यांकन करके उचित अंक दिए गए होते, तो याचिकाकर्ता की योग्यता स्थिति बहुत अधिक होती और वह आरएएस या संबद्ध सेवाओं में ही बेहतर ग्रेड प्राप्त कर सकता था।

31. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए उत्तरों के मात्र अवलोकन के लिए इस न्यायालय द्वारा किसी स्वतंत्र मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है और कोई निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता नहीं है और इस तरह, प्रत्यर्थी आरपीएससी द्वारा की गई अवैधता इस न्यायालय द्वारा सुधार किए जाने की आवश्यकता है। क्योंकि याचिकाकर्ता के साथ गंभीर अन्याय हुआ है।

32. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि राजस्थान **राज्य और अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999 (संक्षेप में "1999 के नियम")** का नियम 18 केवल मुख्य परीक्षा में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों की पुनर्गणना की अनुमति देता है, परीक्षा और उत्तर पुस्तिका का कोई मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए या दोबारा जांच नहीं की जानी चाहिए, हालांकि, भले ही ऐसा नियम लागू हो, न्यायिक जांच को पूरी तरह से बाहर नहीं रखा गया है जहां अधिकारी इतने लापरवाह तरीके से काम करते हैं और भौतिक त्रुटि हुई है।

33. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, ने अपनी दलील के समर्थन में, इसके अध्यक्ष के माध्यम से एवं अन्य **यू.पी.पी.एस.सी. बनाम राहुल सिंह एवं अन्य (सिविल अपील संख्या 5838/2018)** के मामले में अन्य संबंधित अपीलों के साथ 14 जून, 2018 को उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा किया हैं।

34. विद्वान अधिवक्ता ने उक्त निर्णय के आधार पर प्रस्तुत किया कि उच्चतम न्यायालय ने उन सिद्धांतों को दोहराया है, जो **रण विजय सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य। [2018(2) एससीसी 357]** के मामले में निर्धारित किए गए थे।

35. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि मामले के वर्तमान तथ्यों में तर्क की कोई अनुमानात्मक प्रक्रिया या युक्तिकरण की प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रत्यर्थियों ने उचित और आवश्यक तरीके से कार्य नहीं किया है और इस न्यायालय को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है।

36. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि प्रत्यर्थियों ने अपने उत्तर में केवल यह दलील दी है कि उनके विषय के विशेषज्ञों ने उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की पूरी कवायद की है।

37. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थियों द्वारा दी गई दलील कि उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन दिशानिर्देशों के अनुसार विषय विशेषज्ञ द्वारा किया गया है, फुलप्रूफ नहीं हो सकता है या इसे अंतिम नहीं कहा जा सकता है, जहां स्पष्ट त्रुटि हुई है।

38. **इसके विपरीत,** विद्वान अधिवक्ता-प्रत्यर्थी आरपीएससी की ओर से उपस्थित श्री एमएफ बेग ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा वर्ष 2021 में दायर की गई है, जबकि आरएएस और संबद्ध सेवाओं की चयन प्रक्रिया बहुत पहले वर्ष 2013 में शुरू की गई थी।

39. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि भर्ती प्रक्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी है और यहां तक कि बाद के चयन भी वर्ष 2016 में ही किए गए थे और इस प्रकार, याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका अत्यधिक विलंबित है और इस न्यायालय द्वारा उस पर विचार नहीं किया जा सकता है।

40. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि उत्तर, जो प्रत्यर्थी आरपीएससी की ओर से दायर किया गया है, स्पष्ट रूप से विवरण देता है कि आरपीएससी द्वारा जारी दिशानिर्देशों का किस तरह से पालन किया गया है।

41. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विषय विशेषज्ञ ने प्रत्येक उत्तर पुस्तिका को बहुत बारीकी से देखा है और सभी उत्तर पुस्तिकाओं के लिए एक सामान्य मानक अपनाकर, अलग-अलग उम्मीदवारों को उनके द्वारा दिए गए उत्तर के अनुसार अंक दिए गए हैं।

42. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि जिन प्रश्नों पर याचिकाकर्ता ने उसे उचित अंक न देने या कम अंक देने का विवाद किया है, वे इस न्यायालय द्वारा जांच का विषय नहीं हो

सकते, क्योंकि यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि परीक्षक ने कोई त्रुटि की है, विशेषज्ञ ज्ञान और कौशल से सुसज्जित नहीं है।

43. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि शैक्षणिक मामलों में, यह शिक्षाविद् का विवेक है, जिसे न्यायालयों सहित किसी भी अन्य निकाय द्वारा तैयार की गई किसी भी अन्य राय पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

44. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि एक उम्मीदवार के पुनर्गणना/पुनः परीक्षा के लिए पूछने के अधिकार की उपलब्धता के संबंध में इस न्यायालय के साथ-साथ उच्चतम न्यायालय द्वारा मामलों की श्रृंखला में पहले ही विचार किया जा चुका है।

45. प्रत्यर्थी आरपीएससी के विद्वान अधिवक्ता **एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 14302/2017 (ममता शर्मा बनाम सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर एवं अन्य)** में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा 29 जनवरी, 2020 को पारित निर्णय पर भरोसा किया है।

46. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उक्त निर्णय को खंडपीठ द्वारा **खंडपीठ सिविल विशेष अपील रिट संख्या 140/2020 (ममता शर्मा बनाम सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर एवं अन्य)** में 05 फरवरी, 2021 को अभिनिर्धारित निर्णय को भी बरकरार रखा गया है।

47. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **श्याम सुंदर बनाम राजस्थान राज्य** एवं अन्य के मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित एक अन्य निर्णय का भी उल्लेख किया है। **(खंडपीठ विशेष अपील रिट याचिका संख्या 993/2018)** पर 22 अप्रैल, 2019 को पारित एक अन्य निर्णय का भी उल्लेख करते हैं।

48. प्रत्यर्थी आरपीएससी के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त निर्णयों के आधार पर कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की गुंजाइश स्पष्ट रूप से बाहर गया है और मूल्यांकनकर्ता की व्यक्तिपरक संतुष्टि को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और न्यायालय को अपनी राय नहीं बनानी चाहिए।

49. **विद्वान अधिवक्ता ने राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं अन्य बनाम भंवरा राम (खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 399/2019)** के मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ

द्वारा पारित एक आदेश का भी उल्लेख किया और अन्य संबंधित अपीलों के साथ 24 नवंबर, 2021 को निर्णय सुनाया गया। उक्त निर्णय के आधार पर, प्रत्यर्थी आरपीएससी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि एकलपीठ द्वारा लागत लगाने के जो निर्देश दिए गए थे, उन्हें न केवल खंडपीठ द्वारा खारिज कर दिया गया था, बल्कि खंडपीठ ने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा है कि आरपीएससी को परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों से भारी आवेदन प्राप्त हुए। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि देरी से याचिका दायर करने का मुद्दा, क्योंकि परीक्षा वर्ष 2013 में आयोजित की गई थी और याचिका बाद में वर्ष 2021 में दायर की गई थी, जिसे खंडपीठ ने निपटा दिया है, जिसने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।

50. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई दलीलों पर विचार किया है और न्यायालय के समक्ष उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

51. यह न्यायालय, 1999 के नियमों के नियम 18 के अवलोकन पर पाता है कि मुख्य परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के संबंध में, उम्मीदवारों से निर्धारित शुल्क लेने के बाद अंकों की पुनर्गणना की अनुमति है, हालांकि, मूल्यांकन उत्तर पुस्तिका की पुनः जांच वर्जित है।

52. इस न्यायालय ने पाया कि उच्चतम न्यायालय ने समय-समय पर इसी तरह के मुद्दे पर विचार किया है, जहां एक विशेष क़ानून ने उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच पर रोक लगा दी है और उन मामलों की भी जांच की है जहां ऐसी रोक के बावजूद, न्यायालयों को शक्ति दी गई है कि पुनर्मूल्यांकन या जांच की अनुमति दें जहां इसे बिना किसी अनुमान प्रक्रिया या तर्क के बहुत स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया हो।

53. यह न्यायालय **रण विजय सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य** (सुप्रा.) के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के पैरा संख्या 30 को तात्कालिक संदर्भ के लिए उद्धृत करना उचित समझता है:

> "30. अतः, इस विषय पर कानून बिल्कुल स्पष्ट है और हम केवल कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर प्रकाश डालने का प्रस्ताव करते हैं। वे हैं:
>
> 30.1. यदि किसी परीक्षा को नियंत्रित करने वाला कोई क़ानून, नियम या विनियम उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन या उत्तर पुस्तिका की जांच को

> अधिकार के रूप में अनुमति देता है, तो परीक्षा आयोजित करने वाला प्राधिकारी इसकी अनुमति दे सकता है;
>
> 30.2. यदि किसी परीक्षा को नियंत्रित करने वाला कोई क़ानून, नियम या विनियम किसी उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन या जांच की अनुमति नहीं देता है (इसे प्रतिबंधित करने से अलग) तो न्यायालय पुनर्मूल्यांकन या जांच की अनुमति केवल तभी दे सकता है जब यह बहुत स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो, बिना किसी "तर्क की अनुमानात्मक प्रक्रिया या युक्तिकरण की प्रक्रिया द्वारा और केवल दुर्लभ या असाधारण मामलों में जब कोई भौतिक त्रुटि हुई हो;
>
> 30.3. न्यायालय को किसी भी उम्मीदवार की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन या जांच नहीं करनी चाहिए-उसके पास इस मामले में कोई विशेषज्ञता नहीं है और शैक्षणिक मामलों को शिक्षाविदों पर छोड़ देना बेहतर है;
>
> 30.4. न्यायालय को मुख्य उत्तरों की सत्यता का अनुमान लगाना चाहिए और उस अनुमान के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए; और
>
> 30.5 संदेह की स्थिति में, लाभ उम्मीदवार के बजाय परीक्षा प्राधिकारी को जाना चाहिए।

54. यह न्यायालय आगे पाता है कि उच्चतम न्यायालय ने **यू.पी.पी.एस.सी इसके अध्यक्ष के माध्यम से एवं अन्य बनाम राहुल सिंह एवं अन्य (सुप्रा.) के मामले में** उसी सिद्धांत को दोहराया है और उक्त निर्णय के पैरा संख्या 12 में, उच्चतम न्यायालय ने दोहराया कि उम्मीदवार पर न केवल यह प्रदर्शित करने का दायित्व है कि उत्तर कुंजी सही है, बल्कि यह भी है कि स्पष्ट गलती है, जो पूरी तरह से स्पष्ट है और यह दिखाने के लिए कि उत्तर कुंजी गलत है, तर्क की किसी अनुमानात्मक प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। उक्त निर्णय का पैरा संख्या 12 तत्काल संदर्भ के लिए यहां उद्धृत किया गया है:

> "12. कानून सुस्थापित है कि उम्मीदवार पर न केवल यह प्रदर्शित करने का दायित्व है कि कुंजी उत्तर गलत है, बल्कि यह भी है कि यह एक गंभीर गलती है जो पूरी तरह से स्पष्ट है और यह दिखाने के लिए किसी अनुमान प्रक्रिया या तर्क की आवश्यकता नहीं है कि उत्तर कुंजी गलत है।

संवैधानिक न्यायालयों को ऐसे मामलों में बहुत संयम बरतना चाहिए और उत्तरों की कुंजी की शुद्धता को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने में अनिच्छुक होना चाहिए। कानपुर विश्वविद्यालय मामले (सुप्रा.) में, न्यायालय ने एक प्रणाली की सिफारिश की- (1) मॉडरेशन; (2) प्रश्नों में अस्पष्टता से बचना; (3) संदिग्ध प्रश्नों को बाहर करने के लिए त्वरित निर्णय लिए जाएं और ऐसे प्रश्नों के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएं।"

55. इस न्यायालय ने पाया कि मामले के तथ्य, जो उच्चतम न्यायालय के समक्ष थे, क्योंकि तीन प्रश्न तर्क की गलत प्रक्रिया के संबंध में विवाद में थे और इस प्रकार, न्यायालय ने उम्मीदवार के दावे पर विचार नहीं किया और आगे पाया कि न्यायाधीश सभी क्षेत्रों में विशेषज्ञ नहीं हो सकते हैं और उन्हें बहुत संयम रखना होगा और विशेषज्ञों की राय को परेशान करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।

56. इस न्यायालय ने पाया कि हाल ही में, उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के संबंध में मुद्दा रजिस्ट्रार जनरल, दिल्ली उच्च न्यायालय बनाम **रविंदर सिंह (विशेष अनुमति याचिका (ग) संख्या 3144/2023)** के मामले में उच्चतम न्यायालय **ने 11 जुलाई,** 2023 को निर्णय सुनाया और उच्चतम न्यायालय ने उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन से संबंधित मुद्दे पर फिर से विचार करने के बाद, जहां पुनर्मूल्यांकन पर रोक लगाने का प्रावधान था, यह पाया कि यदि विवादित उत्तर के लिए न्यायालय द्वारा किसी निष्कर्ष या तर्क की आवश्यकता होती है, तो इसे एक भौतिक त्रुटि के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत या भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत उच्च न्यायालयों को दिए गए अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

57. इस न्यायालय ने उक्त निर्णय का अध्ययन किया है और पाया है कि **रजिस्ट्रार जनरल, दिल्ली उच्च न्यायालय बनाम रविंदर सिंह (सुप्रा.) के मामले में उच्चतम न्यायालय** ने पुन: दोहराया है कि न्यायालय पुनर्मूल्यांकन या जांच की अनुमति दे सकता है, यदि यह तर्क की किसी अनुमानित प्रक्रिया या तर्कसंगतकरण की प्रक्रिया के बिना बहुत स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाता है और केवल दुर्लभ और असाधारण मामलों में कि कोई भौतिक त्रुटि हुई है और इस प्रकार, न्यायिक जांच निषिद्ध नहीं है। इस न्यायालय ने पाया

कि उपरोक्त मामले में उच्चतम न्यायालय एक विशेष प्रश्न से चिंतित थी, जिसे एक उम्मीदवार ने ट्रेडमार्क अधिनियम की व्याख्या पर उचित अंक नहीं देने के कारण चुनौती दी थी और मूल्यांकनकर्ता द्वारा सही व्याख्या को ध्यान में रखने के बाद आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया और दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने इसे चुनौती दी थी।

58. प्रत्यर्थी आरपीएससी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किए गए ममता शर्मा के मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय को बरकरार रखा गया था, इस न्यायालय ने पाया कि एकलपीठ ने हालांकि उच्चतम न्यायालय ने **यू.पी.पी.एस.सी. इसके अध्यक्ष के माध्यम से एवं अन्य बनाम राहुल सिंह एवं अन्य (सुप्रा.)**, किंतु, इस बारे में कोई निष्कर्ष नहीं दिया कि प्रश्न पत्र या उत्तर पुस्तिका की जांच के लिए किसी विशेषज्ञ की राय की आवश्यकता थी या नहीं।

59. इस न्यायालय, मामले के वर्तमान तथ्यों में, पाया कि यदि उम्मीदवार द्वारा दिया गया उत्तर समान है और किसी अनुमान या तर्क की आवश्यकता नहीं है क्योंकि समान स्थिति वाले उम्मीदवार को उसी प्रश्न के लिए उच्च अंक दिए गए हैं तो चूक या मनमानी है रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि किसी तर्क की आवश्यकता नहीं है या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है।

60. इस न्यायालय ने पाया कि यद्यपि **ममता शर्मा बनाम सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर एवं अन्य (सुप्रा.) के मामले में एकलपीठ के निर्णय** को खंडपीठ ने बरकरार रखा है, हालांकि, एकलपीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण का उचित सम्मान करते हुए, जैसा कि खंडपीठ ने बरकरार रखा है, इस विषय पर कानून अब उच्चतम न्यायालय द्वारा **यू.पी.पी.एस.सी. एवं अन्य इसके अध्यक्ष के माध्यम से बनाम राहुल सिंह एवं अन्य (सुप्रा.) और रण विजय सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (सुप्रा) के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय** के मद्देनजर इस न्यायालय का यह मत है कि याचिकाकर्ता ने मामले के वर्तमान तथ्यों में बहुत स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया है कि उसकी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन उचित और निष्पक्ष तरीके से नहीं किया गया है।

61. **राजस्थान लोक सेवा आयोग और अन्य बनाम भंवरा राम (सुप्रा.)**,के मामले में प्रत्यर्थी आरपीएससी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए निर्णय के अवलोकन पर यह

न्यायालय, न्यायिक अनुशासन की पूरी भावना के साथ और खंडपीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण का उचित सम्मान करते हुए, यह पाता है कि उक्त निर्णय में उस विवाद की जांच नहीं की गई, जिसे एक उम्मीदवार द्वारा इंगित करके उठाया गया था, जिसे परीक्षक द्वारा की गई गलती को सुधारना आवश्यक था या नहीं।

62. यह न्यायालय पाता है कि उक्त निर्णय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के समक्ष उठाए गए मुद्दे की न्यायिक जांच पर रोक नहीं लगाता है, जहां स्पष्ट उदाहरण हैं कि मूल्यांकनकर्ता ने बिना सोचे-समझे उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की है।

63. इस न्यायालय को किसी भी तरह से यह नहीं समझा जा सकता है कि परीक्षक ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम किया है या उसके खिलाफ कोई मकसद है।

64. यह न्यायालय केवल परीक्षकों द्वारा उत्तर पुस्तिका के उचित मूल्यांकन पर विचार करने से संबंधित है और उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन या जांच करते समय उचित सावधानी बरतनी आवश्यक है।

65. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रतियोगी परीक्षा में अंकों में कोई भी बदलाव उम्मीदवार के पूरे सेवा करियर को बदल सकता है।

66. प्रत्यर्थी आरपीएससी के विद्वान अधिवक्ता की दलील कि याचिका देर से दायर की गई है और बाद की परीक्षाएं भी आयोजित की गई हैं, इस न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से पहले, प्राधिकरण के समक्ष लगातार अभ्यावेदन दायर किए और फिर उसने एक नोटिस भी दिया। न्याय की मांग के लिए याचिकाकर्ता ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी प्राप्त करने के बाद इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इसके अलावा, राज्य और आरपीएससी द्वारा दायर उत्तर में ऐसी कोई दलील नहीं दी गई है।

67. यह न्यायालय प्रत्यर्थी आरपीएससी के विद्वान अधिवक्ता की इस दलील को स्वीकार नहीं करता कि चूंकि चयन बाद में किया गया है, अतः याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं दी जा सकती है।

68. यह न्यायालय पाता है कि जब परीक्षक की ओर से कोई स्पष्ट त्रुटि होती है और

कर्तव्य की चूक होती है, तो ऐसी स्थिति में, उम्मीदवार को मिलने वाला अधिकार, केवल इस न्यायालय में आने या परीक्षा या उसके बाद की जाने वाली परीक्षा आधार पर पराजित नहीं किया जा सकता है।

69. प्रत्यर्थी आरपीएससी के लिए विद्वान अधिवक्ता की दलील कि चूंकि विशेषज्ञों ने अपना दिमाग लगाया है और यह न्यायालय अकादमिक मामले में विशेषज्ञ की भूमिका नहीं निभा सकता है, यह न्यायालय यह स्पष्ट करता है कि याचिकाकर्ता को अंकों के संबंध में कोई राय व्यक्त नहीं की गई है और एकमात्र स्पष्ट गलती, जो रिकॉर्ड पर आई है, विषय विशेषज्ञों द्वारा फिर से जांच की जानी चाहिए।

70. तदनुसार, यह न्यायालय वर्तमान रिट याचिका को स्वीकार करता है और प्रत्येक विषय की एक विशेषज्ञ समिति गठित करने के लिए मामले को प्रत्यर्थी आरपीएससी को वापस भेजता है, जिसमें याचिकाकर्ता ने इस याचिका में शिकायत उठाई है और ऐसे विशेषज्ञों को याचिकाकर्ता की उत्तर पुस्तिका के पहले मूल्यांकन से संबद्ध नहीं किया जाना चाहिए।

71. विवादित प्रश्नों के संबंध में विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति और याचिकाकर्ता की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर किया जा सकता है।

72. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता की गुण-दोष स्थिति या अंक बढाए जाते हैं, तो प्रत्यर्थी तदनुसार याचिकाकर्ता के मामले पर उसकी परिवर्तित योग्यता स्थिति के अनुसार आरएएस या संबद्ध सेवाओं में सेवा के उचित आवंटन के लिए विचार करेंगे।

(अशोक कुमार गौड़), न्यायमूर्ति

Preeti Asopa/350

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।